2/2	
छाया 7	वकील वादी एवं वादी स्वयं अनुपस्थित। प्रतिवादी वकील एवं प्रतिवादी सज्जा। रूगनाथ उपस्थित। उन्होंने निवेदन किया कि वकील वादी एवं वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज किया जावे। वकील वादी एवं वादी को अदालत द्वारा तब तक कई बार आवाज दिलवाई गई परन्तु
अति. रूगनाथ	उनकी ओर से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी वकील एवं प्रतिवादी के निवेदन स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर के कि हो। वाद दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 16:09:51 IST
Reason: SelfAttested